UPSB010021982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन– राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस. UP1886

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–966/2026

1. गीता सिंह पत्नी स्व० राम नगीना सिंह, निवासी ग्राम मुधवा, रेनुकूट, जनपद सोनभद्र
2. नेहा जैन पत्नी अशोक सिंह, निवासी ग्राम पटेल नगर, मुधवा, रेनुकूट, जनपद सोनभद्र।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

1. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण **गीता सिंह व नेहा जैन** के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार राय एवं राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।
2. प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण **गीता सिंह व नेहा जैन**, मुकदमा अपराध संख्या–219/2025, अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0दं0सं0, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र में अभियुक्तागण हैं।
3. अभियुक्तागण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि मुकदमा उक्त में उनको गलत ढंग से अभियुक्ता बनाया गया है। उनकी यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् यह कथन किया गया है कि पूरी एफ.आई.आर में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उन्होंने उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराते हुए किस प्रकार के दस्तावेज तैयार किए थे। उनके द्वारा किसी व्यक्ति को छलपूर्वक धोखा नहीं दिया गया है, न ही कपटपूर्ण तरीके से ठगी की गयी है और न ही बेईमानी से पीड़ित व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित ही किया गया है, न ही किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी हस्ताक्षरित या मुहरबंद वस्तु को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनके संबंध में लगाए गए आरोप सरासर झूठ है व पूरी तरह निराधार है। जांच अधिकारी की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वर्तमान मामले में पुलिस ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है और न ही निर्धारित अवधि के भीतर उनके खिलाफ धारा–173(2) सी.आर.पी.सी. के तहत रिपोर्ट दाखिल की है। थाना पिपरी की पुलिस उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। वे निर्दोष महिलाएं हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किये हैं। वर्तमान मामले में उन पर अभियोग लगाना पूरी तरह से झूठा है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उन्हें कभी भी किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। वे अग्रिम जमानत से छूटने पर जमानत के शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगी तथा निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित

...2

रहेंगी। उक्त आधार पर अभियुक्तागण द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादी विजय शंकर सिंह पुत्र स्व0 गिरजा शंकर सिंह निवासी मोहल्ला फतहाँ, थाना कोतवाली शहर मीरजापुर का रहने वाला है, ने थाने पर सूचना दिया कि वह तथा राम नगीना सिंह पुत्र स्व0 दयाशंकर सिंह वे दोनों चचेरे भाई हैं। उन दोनों के नाम से आराजी नम्बर 449मि. 5753, 5803, 582, 584, 586, 585, 581अ, 4493, 575 मि. कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा 6 धूर मौजा मुर्धवा, परगना व तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र के नाम से जमीन स्थित है। जिसका नया आ. नं 485घ, 707क, 706, 582क, 707घ, 708घ कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा 6 धूर में पद्मिनी होटल उसके पिता जी द्वारा व उनके बड़े भाई स्व0 दयाशंकर सिंह ने मिलकर बनाया था, जिसमें दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है। इसी दौरान दिनांक 07.07. 1989 में उसका नाम राजस्व विभाग के मिली भगत से षड़यंत्र करके कूटरचित दस्तावेज तैयार करके विपक्षी श्याम सिंह पुत्र स्व० दयाशंकर सिंह, गीता सिंह पत्नी स्व राम नगीना सिंह, अशोक सिंह पुत्र स्व० राम नगीना सिंह निवासीगण मुर्धवा, रेनूकूट जिला सोनभद्र व अनीता सिंह पत्नी स्व० जोगेन्द सिंह व सत्यम सिंह पुत्र स्व० जोगेन्द्र सिंह निवासीगण मुर्धवा रेनूकूट जिला सोनभद्र हाल पता C/O स्व0 दयाशंकर सिंह प्लाट नं0 बी–36/10/23 कैवल्यधाम कालोनी दुर्गाकुण्ड वाराणसी के द्वारा नाम कटवा दिया गया। कुछ दिन बाद वह दुद्धी तहसील में गया तो उसके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पद्मिनी होटल एवं जमीन से उसका नाम कट गया है तथा उसी दौरान लालता सिंह एण्ड सन्स के नाम से एक पेट्रोल पम्प मुर्धवा में स्थित है, जो पेट्रोल पम्प के तीन पार्टनर हैं। 1–दयाशंकर सिंह, 2–गिरजा शंकर सिंह, 3– सभापति सिंह जिसमें रामनगीना सिंह द्वारा साजिश करके कूटरचित दस्तावेज समझौता पत्र नोटरी हलफनामा एवं अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करके जिलापूर्ति अधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय के मिलीभगत से अपना नाम चढ़वा लिया तथा उसके पिता स्व0 गिरजा शंकर सिंह का नाम गायब करवा दिया। दौरान दिनांक 09–12–2016 को रामनगीना सिंह की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के बाद रामनगीना सिंह की पत्नी गीता सिंह व उनकी बहू नेहा जैन पत्नी अशोक सिंह ने षडयंत्र करके कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपना नाम दर्ज करा लिया। निवेदन किया है कि उपरोक्त गम्भीर प्रकृति के अपराध को देखते हुये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करके उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

6. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7 अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी की प्रविष्टियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण/ अभियुक्तागण नामजद अभियुक्त है। अभियोजन कथानक के अनुसार मुकदमा वादी तथा राम नगीना सिंह पुत्र स्व0 दयाशंकर सिंह वे दोनों चचेरे भाई हैं। उन दोनों के नाम से आराजी नम्बर 449मि. 5753, 5803, 582, 584, 586, 585, 581अ, 4493, 575 मि. कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा 6 धूर मौजा मुर्धवा, परगना व तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र के नाम से जमीन स्थित है। जिसका नया आ. नं 485घ, 707क, 706, 582क, 707घ, 708घ कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा 6 धूर में पद्मिनी होटल उसके पिता जी द्वारा व उनके बड़े भाई स्व0

....3

दयाशंकर सिंह ने मिलकर बनाया था, जिसमें दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है। दिनांक 07.07.1989 में उसका नाम राजस्व विभाग के मिली भगत से षड़यंत्र करके कूटरचित दस्तावेज तैयार करके विपक्षी श्याम सिंह पुत्र स्व० दयाशंकर सिंह, गीता सिंह पत्नी स्व राम नगीना सिंह, अशोक सिंह पुत्र स्व० राम नगीना सिंह निवासीगण मुर्धवा, रेनूकूट जिला सोनभद्र व अनीता सिंह पत्नी स्व० जोगेन्द सिंह व सत्यम सिंह पुत्र स्व० जोगेन्द्र सिंह निवासीगण मुर्धवा रेनूकूट जिला सोनभद्र हाल पता C/O स्व0 दयाशंकर सिंह प्लाट नं0 बी—36/10/23 कैवल्यधाम कालोनी दुर्गाकुण्ड वाराणसी के द्वारा नाम कटवा दिया गया। पदि्मनी होटल एवं जमीन से उसका नाम कट गया है तथा उसी दौरान लालता सिंह एण्ड सन्स के नाम से एक पेट्रोल पम्प मुर्धवा में स्थित है, जो पेट्रोल पम्प के तीन पार्टनर हैं। 1—दयाशंकर सिंह, 2—गिरजा शंकर सिंह, 3— सभापति सिंह जिसमें रामनगीना सिंह द्वारा साजिश करके कूटरचित दस्तावेज समझौता पत्र नोटरी हलफनामा एवं अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करके जिलापूर्ति अधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय के मिलीभगत से अपना नाम चढ़वा लिया तथा उसके पिता स्व0 गिरजा शंकर सिंह का नाम गायब करवा दिया। दौरान दिनांक 09—12—2016 को रामनगीना सिंह की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के बाद रामनगीना सिंह की पत्नी गीता सिंह व उनकी बहू नेहा जैन पत्नी अशोक सिंह ने षडयंत्र करके कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपना नाम दर्ज करा लिया।

8. इस प्रकार प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण पर उनके द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमा वादी की सम्पत्ति को फर्जी ढंग से अपने पक्ष में छल पूर्वक धोखा देकर दस्तावेज तैयार कराने का आरोप है।प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विरूद्व लगाया गया अभियोग आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय है तथा अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामलें में अभी विवेचना प्रचलित है।

9. अतः मामलें के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण—दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं पाता हूॅ कि प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण **गीता सिंह व नेहा जैन** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या—219/2025, अन्तर्गत धारा—419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा0दं0सं0, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक—01.06.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र